प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना" होगा.

(ii) मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना के तहत निर्माण मजदूरों के लिए बनाये जाने वाले प्रतीक्षालय के भूतल में श्रमिकों के बैठने के लिए स्टील अथवा सीमेंट की बैंच, महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था तथा आवश्यक विद्युत एप्लाइंसेस जैसे पंखा, बिजली इत्यादि.

(iii) प्रथम चरण में नगर पालिक निगमों में प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष नगरीय निकायों में प्रतीक्षालय का निर्माण किया जावेगा.

(iv) योजना का संचालन जिला स्तर पर श्रम विभाग एवं नगरीय निकाय के समन्वय से किया जावेगा. इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जावेगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष तथा जिला श्रम अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय अधिकारी के यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सदस्य होंगे.

(v) मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थल का चयन किया जावेगा. निकाय के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि की मांग जिला कलेक्टर से की जावेगी. उक्त योजना हेतु कलेक्टर द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी. नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूमि हस्तांतरण/स्वामित्व प्रमाण-पत्र परिषद् संकल्प, सक्षम तकनीकी स्वीकृतियुक्त प्राक्कलन हेतु प्रस्ताव श्रम विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.

(vi) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश में पंजीकृत समस्त हितग्राही लाभ की पात्रता रखेंगे.

(स) **योजना हेतु व्यय :—**

(i) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को रुपये 20.00 (बीस) लाख तक शत-प्रतिशत अनुदान दो किश्तों में प्रदान किया जावेगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि के लिए निकाय द्वारा पृथक से खाता संधारण किया जाएगा. राशि का आहरण आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप किया जावेगा.

मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय संपत्ति का मात्र विनिर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसे किसी अन्य को किराये पर भी नहीं दिया जा सकेगा. संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार संबंधित नगरीय निकाय का होगा. श्रमिक प्रतीक्षालय का उपयोग अथवा सदस्यता आवश्यकता पाये जाने पर न्यूनतम दैनिक, मासिक, वार्षिक शुल्क का निर्धारण, संबंधित नगरीय निकाय द्वारा श्रम विभाग के समन्वय से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा.

(द) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जिला कलेक्टर तथा सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.